प्रेस नोट थाना बासगांव दिनांक 10-07-2021

पत्नी का हत्यारा निकला पति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 208/2021 धारा 498ए,306 भादवि0 में वांछित अभियुक्त शशि कुमार राजभर पुत्र केशव प्रसाद निवासी ग्राम चतुरबन्दुआरी थाना बांसगांव गोरखपुर को अथक प्रयास व थाने स्तर पर गठीत टीमो के लगातार दबिश के पश्चात माल्हनपार आध्रा बैंक से 200 मीटर आगे कर न्यायिक अभिरक्षा में मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त-

शशि कुमार राजभर पुत्र केशव प्रसाद निवासी ग्राम चतुरबन्दुआरी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर उम्र 24 वर्ष

गिरफ्तारी का समय व स्थान-

दिनांक 10/07/2021 समय 16.00 बजे, गिरफ्तारी का स्थान – माल्हनपार आध्रा बैंक से 200 मीटर आगे थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

घटना का विवरण-

दिनांक 09/07/2021 को प्रातः 04.30 बजे कन्ट्रोल रुम से थाना हाजा का सूचना मिली की ग्राम चतुरबन्दुआरी मे नीलम नाम की महिला ने फाँसी लगाकर आत्म हत्या कर ली है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स के मौके पर पहुचे घटना स्थल पर मृतका के पति शशि कुमार मिले जिन्होने बताया कि मै प्रातः 04 बजे शौच के लिए घर से बाहर गया था बाद शौच वापस आया तो देखा कि मेरी पत्नी नीलम अपने कमरे मे लगे पंखे मे साडी से फन्दा फसाकर फाँसी लगा ली है। जिसको हम लोगो द्वारा जल्दी-जल्दी फन्दे से उतारा गया परन्तु उसकी मृत्यू हो गयी थी । घटना स्थल के निरीक्षण व पति शशि के संदेहास्पद बयान व घटना की संदिग्धता को उच्चाधिकारीगणो से अवगत कराते हुए मृतका नीलम के शव को कब्जा पुलिस मे लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्यवाही अमल मे लायी जा रही थी कि मृतका नीलम की मां श्रीमती रमावती देवी पत्नी महेन्द्र निवासी जंगलरसूलपुर नम्बर 2 टोला नेकवार थाना झगहा गोरखपुर उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र दी और बतायी की मेरी लडकी की शादी दो वर्ष पूर्व शशि कुमार से की गयी थी । जिसके पति शशि द्वारा बार-बार मेरी लडकी पर गलत लांछन लगाकर प्रताडित किया जाता था। मृतका की माँ की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 208/2021 धारा 498ए,306 भादवि पंजीकृत कर उक्त घटना की विवेचनात्मक कार्यवाही से यह तथ्य प्रकाश मे आय़ा कि घटना की रात शशि अपने ससुराल फोन कर बताया था कि आप अपनी लडकी को अपने घर ले जाइए नही तो मैं बताउगा तथा मृतका के साथ अन्तिम समय केवल वही था व पी0एम0 रिपोर्ट के अवलोकन से मृतका की मृत्यू का कारण गला दबाकर दम घुटने से होना पाया गया।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सत्यपाल यादव –

मु0अ0सं0 208/2021 धारा 302/498ए भा0द0वि0

गिरफ्तारी टीम मे सम्मलित पुलिस अधि0/कर्मचारी-

1.प्र0नि0 राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
2.उ0नि0 मनीष कुमार यादव
3.उ0नि0 अजय कुमार
4.हे0का0 मनीष सिंह
5.आरक्षी पवन यादव
6.महिला आरक्षी अर्चना सिंह